जयपुर विकास प्राधिकरण

बनाम

श्रीमती कैलाशवती देवी

2 सितंबर, 1997

[स्हास सी. सेन और एम. जगन्नाथ राव, न्यायाधिपतिगण]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908:आदेश 41, नियम 27 (1) (एए)अतिरिक्त साक्ष्य-पेश करने के लिए पात्र होने की योग्यता- अभिनिर्धारित
किया, उन पक्षकारो तक सीमित नहीं है जिन्होंने निचली अदालत के समक्ष
कुछ साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं-यहां तक कि एक पक्ष जिसने निचली अदालत
के समक्ष कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, वह भी नियम के ऐसे अनुमित
उद्देश्य की मांग कर सकता है।

उच्च न्यायालय ने एक लंबित पहली अपील में आदेश 41, नियम 27, सी. पी. सी. के तहत अतिरिक्त साक्ष्य देने के लिए अपीलार्थी के आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि अपीलार्थी ने निचली अदालत में कोई साक्ष्य नहीं दिया था। इसलिए यह अपील।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया :

आदेश 41 सी. पी. सी. के नियम 27 (1) (ए. ए.) का इरादा यह है कि एक पक्ष जो उसमें उल्लिखित कारणों से, निचली अदालत में साक्ष्य पेश करने में असमर्थ था, उसे अपीलीय अदालत में पेश करने में सक्षम बनाया जाना चाहिए।इसमें उन शर्तों का उल्लेख किया गया है जिनका अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्त्त करने वाले पक्ष द्वारा पालन किया जाना चाहिए। यह शर्तों में से एक नहीं है कि अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने की मांग करने वाला पक्ष भी वह होना चाहिए जिसने निचली अदालत में कुछ साक्ष्य का नेतृत्व किया हो।इस तरह का दृष्टिकोण एक अतिरिक्त शर्त को श्रू करने के के बराबर है जो उप-नियम द्वारा विचार नहीं किया गया है। उप-नियम का उद्देश्य उस पक्ष के बीच कोई अंतर नहीं करना था जिसने निचली अदालत में कुछ सबूत पेश किए हैं और एक जिसने निचली अदालत में कोई सब्त पेश नहीं किया है।बस इतना ही आवश्यक है कि उप-नियम के म्ख्य भाग में उल्लिखित शर्तों का अस्तित्व साबित होना चाहिए। नियम 27 (1) (एए) को केवल उन लोगों के लाभ के लिए प्रतिबंधित करने की अनुमति नहीं है जिन्होंने निचली अदालत में कुछ जी साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं।[666-एफ-एच]

मोहम्मद सैफुर रहमान बनाम असम राज्य, ए. आई. आर. (1985) गौ 107,- पुष्टि की गई। गुरबख्श सिंह बनाम शंकर दास साधु राम, ऑल (1936) लाह 71, -अस्वीकार किया गया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 5948/1997

एसबीएसएफए संख्या 19/1996 में राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश 10.12.96 से।

एस. के. भट्टाचार्य, अपीलार्थी की ओर से

निमो, उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा एम. जगन्नाथ राव, न्यायाधिपति द्वारा दिया गया था।

अनुमति प्रदान की गई।

यह सिविल अपील जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा एस.बी. सिविल प्रथम अपील क्रमांक 19/1995 में राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के फैसले दिनांक 10.12.1996 के खिलाफ दायर की गई है। उस निर्णय के अनुसार, उच्च न्यायालय ने लंबित प्रथम अपील में आदेश 41 नियम 27, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत "अतिरिक्त सबूत" पेश करने के लिए अपीलकर्ता द्वारा दायर एक आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि अपीलकर्ता ने निचली अदालत के समक्ष कोई सबूत पेश नहीं किया था। मोहम्मद सैफ्र रहमान बनाम असम राज्य और अन्य, एआईआर

(1985) गौहाटी 107 में गौहाटी उच्च न्यायालय के फैसले के बाद न्यायालय ने उपरोक्त दृष्टिकोण अपनाया कि आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी में अतिरिक्त शब्द का अर्थ "शामिल होना" है या एक चीज़ को दूसरी चीज़ से जोड़ना ताकि एक समुच्चय बन सके" और यह कि एक पक्ष कोई भी अतिरिक्त सबूत पेश करने का हकदार नहीं है अगर उसने ट्रायल कोर्ट में कोई सबूत पेश नहीं किया है।

तथ्य इस प्रकार हैं:

प्रतिवादी द्वारा कुछ भूमि अधिग्रहण कार्यवाही पर सवाल उठाते हुए और वादी के कब्जे में होने के आधार पर स्थायी निषेधाज्ञा की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया गया था। अपीलकर्ता को विचारण न्यायालय में प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया। मुकदमे पर एकपक्षीय फैसला सुनाया गया। अपीलकर्ता द्वारा उच्च न्यायालय में अपील की गई थी और अपीलकर्ता द्वारा आदेश 41 नियम 27 के तहत दो दस्तावेज दाखिल करने की मांग की गई थी ताकि यह दिखाया जा सके कि वादी से कब्ज़ा बहुत पहले ले लिया गया था। इस आवेदन को उच्च न्यायालय ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि अपीलकर्ता-प्रतिवादी ने विचारण न्यायालय में कोई सबूत पेश नहीं किया था। इस अपील में इसी आदेश पर सवाल उठाया गया है।

हमारा विचार है कि राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा और गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. के खंड (एए) में अतिरिक्त शब्द पर की गई व्याख्या सही नहीं है।

आदेश 41 के नियम 27 के प्रावधान जहां तक प्रासंगिक हैं, इस प्रकार पढ़ें जाते है:

"नियम 27: अपीलीय न्यायालय में अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करना:

(1) अपील के पक्षकार अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने के हकदार नहीं होंगे। चाहे मौखिक हो या दस्तावेजी, अपीलीय न्यायालय में। लेकिन अगर।

(ए)....

(एए) अतिरिक्त सबूत पेश करने की मांग करने वाला पक्ष यह स्थापित करता है कि उचित परिश्रम के अभ्यास के बावजूद, ऐसा साक्ष्य उसके ज्ञान में नहीं था या उचित परिश्रम के अभ्यास के बाद, उस समय उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था जब पारित डिक्री के खिलाफ अपील की गई थी, या

(बी)....

अपीलीय अदालत ऐसे सबूत पेश करने या गवाह की जांच करने की अनुमति दे सकती है।

हमारे विचार में, उप-नियम का उद्देश्य यह है कि एक पक्ष, जो उप-खंड में उल्लिखित कारणों से, विचारण न्यायालय में सब्त पेश करने में असमर्थ था, उसे अपीलीय अदालत में सबूत पेश करने में सक्षम बनाया जाना चाहिए। उप-नियम उन शर्तों का उल्लेख करता है जिनका पालन अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्त्त करने वाले पक्ष द्वारा किया जाना चाहिए, अर्थात्, उचित परिश्रम के अभ्यास के बावजूद, ऐसे साक्ष्य उसके ज्ञान में नहीं थे या उचित परिश्रम के अभ्यास के बाद नहीं हो सकते थे, उसके द्वारा विचारण न्यायालय में पेश किया जाएगा। यह उन शर्तों में से एक नहीं है कि "अतिरिक्त" सबूत पेश करने की मांग करने वाला पक्ष वह भी होना चाहिए जिसने विचारण न्यायालय में कुछ सबूत पेश किए हों। ऐसा दृष्टिकोण एक अतिरिक्त शर्त को प्रस्त्त करने जैसा है जिस पर उप-नियम द्वारा विचार नहीं किया गया है। उप-नियम द्वारा उस पक्ष के बीच कोई अंतर करने का इरादा नहीं था जिसने विचारण न्यायालय में क्छ सब्त पेश किए हैं और एक जिसने विचारण न्यायालय में कोई सब्त पेश नहीं किया है। बस इतना आवश्यक है कि उपनियम के म्ख्य भाग में उल्लिखित शर्ते अस्तित्व में साबित हो। केवल उन लोगों के लाभ के लिए उप-खंड (एए) को प्रतिबंधित करना स्वीकार्य नहीं है जिन्होंने विचारण न्यायालय में क्छ सबूत पेश किए हैं।

इसिलए गौहाटी उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण सही नहीं है। गुरबख्श सिंह बनाम (फर्म) शंकर दास, एआईआर (1936) लाहौर 71 में लाहौर उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया समान दृष्टिकोण भी सही नहीं है।

परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द किया जाता है और आवेदन की स्थिरता पर आपित्त को खारिज किया जाता है, अब यह उच्च न्यायालय पर निर्भर करेगा कि वह अपीलकर्ता के आवेदन या योग्यता की जांच करे और कानून के अनुसार उस पर निर्णय ले। जैसा कि ऊपर बताया गया है, अपील स्वीकार की जाती है। लागत के रूप में कोई आदेश नहीं होगा।

आर.के.एस.

अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल सुवास की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता नृपेन्द्र सिनसिनवार द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।